

उत्तराखण्ड शासन

श्रम अनुभाग

संख्या:- /VIII-1/24-228(श्रम)/2001-पार्ट-II

देहरादून, दिनांक: 15 मार्च, 2019

अधिसूचना

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या 11 सन् 1948) की धारा 4 की उपधारा (1) का खण्ड (i) के सपठित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचना संख्या 311/VIII/19-228(श्रम)/2001, दिनांक 08 मार्च, 2019 को अधिक्रमित करते हुए एवं उत्तराखण्ड न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् सम्यक् विचारोपरान्त दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से परिशिष्ट-1 में उल्लिखित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के लिये मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित कर निम्नवत् निर्धारित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

| क्र० सं० | कर्मचारियों की श्रेणी | देय मूल मजदूरी की न्यूनतम मासिक दरें (प्रतिमाह रुपये में) |
|----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| (1)      | (2)                   | (3)                                                       |
| 1        | अकुशल                 | 12391                                                     |
| 2        | अर्द्धकुशल            | 13110                                                     |
| 3        | कुशल                  | 13838                                                     |
| 4        | लिपिक वर्गीय कर्मचारी |                                                           |
|          | (क) श्रेणी-एक         | 15035                                                     |
|          | (ख) श्रेणी-दो         | 14139                                                     |

**टिप्पणी-** कर्मचारियों का श्रेणीवार वर्गीकरण परिशिष्ट-2 में दिया गया है।

1- विभिन्न वर्ग के कार्य के लिए नियोजित वयस्क कर्मचारियों को देय मूल मजदूरी की न्यूनतम दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (2016=100) के 301 अंक पर होंगी।

2- परिवर्तनीय महंगाई भत्ता- अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2016-100) के अंक 301 के ऊपर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने पर महंगाई भत्ते को ₹ 20 प्रति अंक की दर से समायोजित किया जायेगा और समायोजन क्रमशः प्रत्येक वर्ष अप्रैल और अक्टूबर में पूर्ववर्ती वर्ष के जुलाई से दिसम्बर तक और चालू वर्ष के जनवरी से जून माह तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर करते हुए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

3- मजदूरी की दैनिक दर, उपरोक्त मासिक न्यूनतम मूल मजदूरी दर और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते के 1/26 से कम न होगी।

4- घंटेवार दर, दैनिक दर के 1/6 से कम न होगी।

5- ऐसे कर्मचारियों को जिनके कार्य के घंटे (विश्राम अन्तराल को सम्मिलित करते हुए) एक दिन में 6 घंटे या एक सप्ताह में 36 घंटे से कम हैं तो उन्हें अंशकालिक कर्मचारी माना जायेगा और उनकी घंटेवार मजदूरी की दर तदनुरूप दैनिक दर के छठे भाग से कम न होगी।

6- मजदूरी की उपर्युक्त दरें किसी भी प्रकार से किसी कर्मचारी के हितों के प्रतिकूल प्रवर्तित नहीं होगी। यदि इन दरों के प्रवृत्त होने के पूर्व विद्यमान मजदूरी की दरें उपर्युक्त दरों के अनुसार देय मजदूरी से अधिक है तो उन्हें जारी रखा जायेगा और किसी भी स्थिति में किसी नियोजक द्वारा उस में कटौती नहीं की जायेगी।

7- जहां किसी श्रेणी का कार्य मात्रानुपाती दर के आधार पर किया जाता है, वहाँ उस विशिष्ट प्रकार के कार्य के लिये विहित कालानुपाती दर प्रत्याभूत मात्रानुपाती दर होंगी अर्थात् नियोजक मात्रानुपाती दर पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को ऐसी मजदूरी देगा जो न्यूनतम कालानुपाती दर से कम न हो।

8- ऊपर दी गयी मजदूरी की न्यूनतम दर के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन यथा अनुध्यात विश्राम दिन के सम्बन्ध में पारिश्रमिक भी सम्मिलित है।

9- यदि नियोजक द्वारा प्रतिष्ठान का कोई कार्य ठेका श्रम के माध्यम से कराया जा रहा है, तो ऐसे ठेका श्रमिक को भी नियोजक द्वारा सीधे नियोजित श्रमिक की तरह (बराबर/समान) इस अधिसूचना में अनुमन्य निर्धारित न्यूनतम मजदूरी तथा परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

10- किशोरों को संदेय मजदूरी की न्यूनतम कालानुपाती दर, उसी श्रेणी के वयस्क कर्मचारी पर प्रयोज्य कालानुपाती दर से कम न होगी।

#### परिशिष्ट-1

| क्र०सं० | नियोजकों का नाम                                                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| (1)     | (2)                                                                         |
| 1       | पत्थर तोड़ने या पत्थर कूटने में नियोजन                                      |
| 2       | चिकन के कार्य में नियोजन।                                                   |
| 3       | दियासलाई उद्योग में नियोजन।                                                 |
| 4       | आइसकैन्डी/आइसक्रीम विनिर्माणशालाओं में नियोजन।                              |
| 5       | बेकरी और बिस्कुट विनिर्माणशालाओं में नियोजन।                                |
| 6       | बर्फ विनिर्माणशालाओं में नियोजन।                                            |
| 7       | एस्बेस्टस सीमेंट कारखानों और अन्य सीमेंट उत्पाद विनिर्माणशालाओं में नियोजन। |
| 8       | लाण्डी या धुलाई अधिष्ठानों में नियोजन।                                      |
| 9       | जिल्दसाजी में नियोजन                                                        |
| 10      | कोल्ड स्टोरेज में नियोजन                                                    |
| 11      | पाटरी सिरेमिक्स या रिफ़ैक्ट्रीज में नियोजन।                                 |

#### परिशिष्ट-2

##### 1. अकुशल-

फायर मैन (साधारण भट्ठी), स्लिप हाउस वर्कर, फिटर (प्रोसेसिंग और लगींग को सम्मिलित करते हुए), ग्लेजर (डिपिंग क्रिया द्वारा) टैग, भट्टे और अन्य सामान के लोडर और अनलोडर, चपरासी, स्वीपर, स्क्रैपर, हैल्पर, मजदूर, जैली और डाई प्रेस वर्कर्स, सार्टर, स्टाम्प मार्कर, प्लेजर, सीव अटेन्डेन्ट, एजीटेटर, मिक्सर, सिलेन्डर मजदूर, पल्वीराइजर, अटेन्डेन्ट, पम्प अटेन्डेन्ट, मोल्ड मेकर, ट्रक क्लीनर, ट्रालीलोडर, अनलोडर, वाटरमैन, ब्रिक प्रेस अटेन्डेन्ट, हाथ से ड्रायर अटेन्डेन्ट, ब्लोअर अटेन्डेन्ट, स्टोन बेकिंग एण्ड काशिंग अटेन्डेन्ट, ब्रिक टाइल्स प्रेस अटेन्डेन्ट, स्टोरवेयर पाइप

प्रेस अटेन्डेन्ट, स्टोरवेयर पाइप अटेन्डेन्ट, मेट ट्रेनी, फिनिशर और कास्टर, कनवेयर कास्टर, गेट मैन, हैंडिल मैन, पैकर कुली, वाचमैन, कैश प्यून, स्टोर काउन्टर ब्वाय और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

## 2. अर्द्धकुशल—

प्रेस मैन, धोबी, मशीन मैन, दर्जी, सहायक सुपरवाइजर, सहायक मिस्त्री, पाटर, कास्टिंग प्रोसेज पर थो करके बर्तन बनाने वाले, कास्टर और फिनिशिंग, फायरमैन (टनल फरनेस), हैड फायरमैन (साधारण भट्टी), कलर स्प्रेयर (इसमें स्प्रे द्वारा ग्लेजिंग भी सम्मिलित है), सहायक खरादी, समरमैन, जारमैन, जिगरमैन, ज्वाइनर, आयलमैन, सगर मेकर, सहायक डाई फिटर, सहायक राजगीर, सहायक बढई, वायरमैन, कास्टर लेसर पालिशर, ग्राइन्डर, ब्लॉक मेकर, सिलेन्डर अटेन्डेन्ट, हैमर मैन, सहायक पेन्टर, बिस्कुट पैकिंग करने वाला, पैकर, सहायक विद्युतकार, किलनमैन चेकर, पाइप कटर, आयलर, सहायक फोरमैन, विद्युतकार का सहायक, आर्डर सप्लायर, बुक वाइन्डर, वाइन्डर, कटर, स्टीचर, दफ्तरी, कारीगर, दहय्या, कलर मेकर, सीविंग मैन, हैमिंग मैन, कलेन्डर मैन, माल दिखाने वाला, सहायक मशीन आपरेटर, सहायक मशीन मैन, तौल करने वाला, दूध चीनी आदि मशीन में डालने वाला, मेकर, रोलर ड्राईवर, मिक्सर, सुरक्षा गार्ड बिना हथियार और इस प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी चाहे उसे किसी भी नाम से पुकार जाय।

## कुशल—

पाटर (जो 4-5 लीटर से अधिक क्षमता के बर्तन बनाते हैं), डाई फिटर, टर्नर (लेथ मैन), मोल्डर, डाई मेकर, कारपेन्टर, आर्टिस्ट, डिजाइनर, मेसन, मोटर जनरेटर ड्राईवर, इलेक्ट्रीशियन, पेपर मैन, पेन्टर चाक वाला, कुम्हार, फिटर, ब्लैक स्मिथ, वेल्डर, मोटर वाइन्डर, आटोमोबाइल, ड्राइवर, स्प्रेयर मैन सुपरवाइजर, हैड मिस्त्री, स्टोर इंचार्ज, हेड ब्यायलर मैन, डिजाइन मेकर, ब्लॉक मेकर, केमिस्ट, सिल्क प्रिंटर, अभियंता, मुख्य आपरेटर, फोरमैन, रफूगर, सर्वेयर, प्लम्बर फ्रिजर, सुरक्षा गार्ड हथियार सहित व इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

## 4. लिपिक वर्गीय कर्मचारी:—

### (क) लिपिक श्रेणी—दो—

मुनीम, लेखाकार, लिपिक, कैशियर, विक्रीकर्ता, तगादगीर, डिलीवरी मैन, क्लर्क, टाइमकीपर, टंकक, स्टोर कीपर और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

(ख) लिपिक श्रेणी-एक-

4-

प्रधान मुनीम, मुख्य लेखाकार एवं प्रधान लेखाकार, प्रधान रोकडिया, आशुलिपिक, प्रधान विक्रीकर्ता, प्रधान लिपिक, कार्यालय अधीक्षक, स्टीवर्ड, प्रधान स्टोर कीपर और इसी प्रकार का कार्य करने वाला कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाये।

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम)  
सचिव।

संख्या: 288

(1)/VIII-1/24-228(श्रम)/2001-पार्ट-II, तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. मुख्य निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को मा. मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. प्रमुख निजी सचिव, मा. श्रम मंत्री, को मा. श्रम मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊं मण्डल।
6. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
8. श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त अपर/संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड।
11. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी असाधारण गजट में प्रकाशित कराते हुए उसकी 400 प्रतियां शासन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. निदेशक, N.I.C को राज्य सरकार की अधिकृत वेबसाईट में जनसाधारण के संज्ञानार्थ अपलोड करने हेतु।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

  
(शिव विभूति रंजन)  
उप सचिव।



## उत्तराखण्ड शासन

## श्रम अनुभाग

संख्या: 319 / VIII-1 / 24-228 श्रम / 2001 / पार्ट-II

देहरादून, दिनांक: 22 मार्च, 2024

## कार्यालय-ज्ञाप

अवगत कराना है कि श्रम विभाग के अन्तर्गत विभिन्न नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिए 01 अप्रैल, 2024 से पुनर्निर्धारित न्यूनतम मजदूरी विषयक अधिसूचना सं०- 288 / VIII / 24-228 (श्रम) / 2001 पार्ट II एवं अधिसूचना सं०- 289 / VIII / 24-228 (श्रम) / 2001-पार्ट-II निर्गत किया गया था, जिसमें "दिनांक 15 मार्च, 2024" के स्थान पर टंकण त्रुटिवश "दिनांक 15 मार्च, 2019" अंकित हो गया है जिसे संशोधित करते हुए "दिनांक 15 मार्च, 2024" किया जाता है। अतः उक्त अधिसूचना सं०- 288, दिनांक 15 मार्च, 2019 एवं अधिसूचना सं०- 289, दिनांक 15 मार्च 2019 के स्थान पर उसे "अधिसूचना सं०- 288, दिनांक 15 मार्च, 2024" एवं "अधिसूचना सं०- 289, दिनांक 15 मार्च, 2024" पढ़ा व समझा जाय।

2- यह भी अवगत कराना है कि "ईंट भट्टा उद्योग", "तम्बाकू निर्माण के नियोजन", "कालीन बुनाई के नियोजन", एवं "हथकरघा उद्योग एवं शक्ति चालित करघा उद्योग के नियोजन" में कार्यरत श्रमिकों के लिए 01 अप्रैल, 2024 से पुनर्निर्धारित न्यूनतम मजदूरी विषयक क्रमशः निर्गत अधिसूचना सं०- 306, 308, 309, 311 / VIII / 24-228 (श्रम) / 2001-पार्ट-II, दिनांक 15 मार्च, 2024, उक्त सभी अधिसूचनाओं के प्रथम प्रस्तर की चौथी पंक्ति में क्रमशः अधिक्रमित की गयी अधिसूचना सं०-329, 331, 332 एवं 334 की तिथि टंकण त्रुटिवश "दिनांक 08 मार्च 2019" के स्थान पर "दिनांक 08 मार्च, 2013" अंकित हो गयी है जिसे संशोधित करते हुए "दिनांक 08 मार्च, 2019" किया जाता है। अतः अधिसूचना सं०- 306, 308, 309, 311 / VIII / 24-228 (श्रम) / 2001-पार्ट-II, दिनांक 15 मार्च, 2024 में उक्त अधिक्रमित अधिसूचना की तिथि "दिनांक 08 मार्च, 2013" के स्थान पर "दिनांक 08 मार्च, 2019" पढ़ा व समझा जाय।

3- उपरोक्त उल्लिखित अधिसूचना सं०-288 एवं 289 तथा अधिसूचना सं०- 306, 308, 309 एवं 311, दिनांक 15 मार्च, 2024 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। उक्त अधिसूचना के शेष प्राविधान / शर्तें यथावत् रहेंगे।

(शिव विभूति रंजन)

उप सचिव।

संख्या: 319 (1) / VIII-1 / 24-228 (श्रम) / 2001-पार्ट-II, तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव / प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. मुख्य निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को मा. मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. प्रमुख निजी सचिव, मा. श्रम मंत्री, को मा. श्रम मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल / कुमाऊं मण्डल।

क्रमशः.....2

6. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
8. श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त अपर/संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड।
11. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त अधिसूचना को सरकारी असाधारण गजट में प्रकाशित कराते हुए उसकी 400 प्रतियां शासन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. निदेशक, N.I.C को राज्य सरकार की अधिकृत वेबसाईट में जनसाधारण के संज्ञानार्थ अपलोड करने हेतु।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

  
(शिव विभूति रंजन)  
उप सचिव।